राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ 35 ए/सा.प्र./आर.ओ/वाटर फिल्टर रख–रखाव /2025–26/812 दि0 13/6/2025

सीमित निविदा सूचना 03/2026-26

राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय जयपुर एवं नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर संचालित बीमा विभाग कार्यालय मे स्थापित आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य करवाया जाना है। इस हेतु रजि. फर्म /कम्पनी संस्था से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म / कम्पनी /संस्था, निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 20.06.25 दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (http.sppp.rajnic.in) एवं विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,जयपुर के कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांकः 20.06.25 को सायः 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। दरें प्रस्तुत करने से पूर्व आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट का कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर मौका मुआवना/स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा दिनांकः 20.6.25 को सांय 4.00 बजे खोला जाऐगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। (कुल अनुमानित लागत 1.45 लाख)

Prahlad
13/06/2025

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष,
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,
राज0जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ 35 ए / सा.प्र. / आर.ओ / वाटर फिल्टर रख–रखाव / 2025–26 / 812 दि0 13/6/2025

निविदा / कोटेशन आमंत्रण

1. मैसर्स विनायक एसोसिएट,
 62, नटराज कॉलोनी, टोंक फाटक,
 जयपुर।

2. मैसर्स ओम एसोसिएट,
 ए–63, न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला, जयपुर।

3. मैसर्स एम. आर डिस्ट्रीब्यूटर्स,
 बी–133, गंगा सागर कॉलानी,
 वैशाली नगर, जयपुर।

4. नोटिस बोर्ड।

विषयः– आर.ओ. / वॉटर कूलर / आर0ओ प्लांट की मरम्मत एवं वार्षिक रख–रखाव का कार्य।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, मुख्यालय, जयपुर में पदस्थापित आर.ओ. / वॉटर कूलर / आर0ओ0प्लांट की मरम्मत एवं वार्षिक रख–रखाव का कार्य करवाया जाना है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते संलग्न कर भिजवाई जा रही है। दरें प्रस्तुत करने से पूर्व आर.ओ. / वॉटर कूलर / आर0ओ0प्लांट का कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर मौका मुआवजा / स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनाकः 20.06.25 सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा दिनांकः 20.06.25 को सांयः 4.00 बजे खोला जाएगां विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

Prahlad
13/06/2025

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशाालय,राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान, जयपुर

विषयः– आर.ओ. /वाटर कूलर/आर.ओ.प्लांट की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) हेतु निविदा प्रपत्र

1.नाम फर्म/कम्पनी/संस्थाः–..

पता :–..

टेलीफोन :–..

पैन न :–...

फर्म का रजि. न :–...

GST न :–...

2.संदर्भ निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

3. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय एवं नेहरू सहकार में चतुर्थ मंजिल पर स्थित बीमा विभाग कार्यालय में स्थापित 05 आर.ओ. (एक्वागार्ड), 05 वाटर कूलर एवं 01 आर0ओ0 प्लांट हेतु निम्नानुसार वार्षिक रख–रखाव (AMC) की दरें दी जानी है।

क्र. सं.	विवरण	प्रति आर.ओ./वाटर कूलर/आर.ओ. प्लांट की वार्षिक दर (सभी कर सहित रू. में)
1.	04 आर.ओ. (एक्वागार्ड) – 50 ली. 01 आर.ओ. (एक्वागार्ड) – 100 ली. की मरम्मत एवं वार्षिक रख–रखाव (**AMC**) का कार्य मय सामान सहित।	
2.	04 वॉटर कूलर की मरम्मत एवं वार्षिक रख–रखाव (**AMC**) का कार्य मय सामान सहित।	
3.	01 आर0ओ0 प्लांट (250 ली0) की मरम्मत एवं वार्षिक रख–रखाव (**AMC**) का कार्य मय सामान सहित।	

4. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय, जयपुर में 05 आर.ओ. (एक्वागार्ड), 04 वाटर कूलर एवं 01 आर0ओ0 प्लांट की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (**AMC**) का कार्य करवाया जाना है।

5. आर.ओ. /वाटर कूलर/आर.ओ.प्लांट की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (**AMC**) नवीन भवन कार्यालय में शिफ्ट होने या एक वर्ष, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएेगा। तथा कार्य के आधार पर आनुपातिक भुगतान त्रैमासिक देय होगा। आर.ओ. /वाटर कूलर/आर.ओ.प्लांट की मात्रा में कमी या बढोतरी की जा सकती है।

6. दरें एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। जिसे 3 माह और बढ़ायी जा सकती है। अनुबन्धित फर्म उसी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Prahlad
13/06/2025

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर

आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट के मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) हेतु निविदा/कोटेशन की सामान्य शर्तेः–

1. आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट के मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) के कार्य हेतु प्रति आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट की वार्षिक दर से दी जानी है।
2. आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट की वार्षिक रख रखाव (AMC) के कार्य का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट की जाँच करने एवं केयर टेकर से सही प्रकार से कार्य करने की रिर्पोट प्राप्त होने पर कार्य के आधार पर आनुपातिक भुगतान त्रैमासिक किया जायेगा।
3. आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट वार्षिक रख रखाव(AMC) की अवधि में यदि बन्द रहा तो बंद आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट को ठीक करने के लिए सूचित किये जाने से एक दिवस में ठीक किया जायेगा। एक दिवस के बाद ठीक नहीं होने पर 100/ रू प्रति दिन की पेनल्टी अनुबन्धित फर्म पर आरोपित की जायेगी। पेनल्टी की राशि अनुबन्धित फर्म के त्रैमासिक बिल से काटी जायेगा।
4. रख रखाव अवधि में आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट में मैम्ब्रेन, फिल्टर, पम्प, कॉर्बन ब्लॉक एवं अन्य पार्ट खराब होने पर केवल मूल एवं विनिर्मित पार्ट्स लगाते हुए अनुबन्धित फर्म को अपने खर्च पर ठीक करना होगा। इस हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का अलग से व्यय देय नहीं होगा।
5. रखरखाव अवधि में कार्यालय समय में आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट खराब होने पर मैकनिक को शीघ्र भेजना होगा।
6. निविदा अवधि समाप्त होने पर सभी आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट को चालू हालत में केयरटेकर को सम्भलवाने होगें।
7. सफल निविदादाता को 500 रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग को एग्रीमेन्ट भरकर देना होगा, एवं नियमानुसार कार्य संम्पादन प्रतिभूति की राशि का बैंकर चेक / डी.डी. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर के नाम से जमा करवाने होंगे।
8. रख रखाव अवधि में उत्पन्न होने वाली कोई भी खराबी अनुबन्धित फर्म को स्वंय के खर्चे पर ठीक करनी होगी। आर.ओ./वाटर कूलर/आर0ओ0 प्लान्ट को सुचारू रूप से चालू रखना होगा।
9. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे। जिसमें निहित शर्तों की पालना के लिए अनुबंधित फर्म बाध्य होगी।

Prasad
13/06/2025

10. निविदा / कोटेशन प्रपत्र स्याही से भरा जाऐगा। पेंसिल से भरी हुयी निविदा / कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक /अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
12. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक /अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान, जयपुर को होगा।
13. निविदा अवधि में कार्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था / निविदादाता की होगी।
14. उक्त कार्यो हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 20.6.25 सांय 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
15. दरें एक वर्ष के लिए मान्य होंगी । जिसे 3 माह और बढ़ायी जा सकती है।

Prahlad 13/06/2025

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग
राज0,जयपुर

मैं /हम निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या ....वर्ष ....दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो को भली भांति पढ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना करने के लिए सहमत है। एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर